राजस्थान में अपूर्ण शिक्षा दिशा-निर्देश

प्रिलिम्स के लिये:

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, शिक्षा का अधिकार अधिनियम,

मेन्स के लिये:

प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में राजस्थान सरकार दिशा-निर्देश तथा इस पर प्रतिक्रिया, किस प्रकार ये दिशा-निर्देश शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करते हैं?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (**National Commission for Protection of Child Rights -NCPCR**) ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पर जारी नए दिशा-निर्देशों के लिये राज्य सरकार की आलोचना की है। आयोग के अनुसार, ये नए दिशा-निर्देश शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करते हैं तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों को नर्सरी कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हैं।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- राजस्थान के स्कूली शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि RTE अधिनियम, 2009 के तहत **2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के लिये निजी स्कूलों में केवल कक्षा 1 या उससे ऊपर के बच्चों को प्रवेश कराया जाएगा,** जिसमें प्री-स्कूलर्स (नर्सरी के बच्चे) शामिल नहीं हैं।
- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रवेश की आयु **"5 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 31 मार्च 2020 तक 7 वर्ष से कम" है।**

नियमों का उल्लंघन:

- ये दिशा-निर्देश RTE अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित होनी चाहिये।
- ये दिशा-निर्देश केवल 7 साल से कम उम्र के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं लेकिन RTE अधिनियम में प्रवेश के लिये "छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे" का प्रावधान शामिल है।

NCPCR's की प्रतिक्रिया

- **NCPC** ने RTE अधिनियम के आलोक में नए दिशा-निर्देशों की फिर से जाँच करने और आवश्यक परिवर्तन करने की सिफारिश की है ताकि नए नियमों के चलते बच्चों की शिक्षा को कोई नुकसान न होने पाए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

National Commission for Protection of Child Rights – NCPCR

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी।
- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

अधदिश

- आयोग का अधदिश यह सुनश्चिति करना है कि समस्त वधियिाँ, नीतयिाँ कार्यक्रम तथा प्रशासनकि तंत्र बाल अधकािरों के संदर्श के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संवधिान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधकािर अभसिमय (कन्वेशन) में प्रतपिादति कयिा गया है।
- बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामलि व्यक्ति के रूप में पारभिाषति कयिा गया है।
- यह आयोग राष्ट्रीय नीतयिों एवं कार्यक्रमों में नहिति अधकािरों पर आधारति दृष्टकिोण की परकिल्पना करता है तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र की वशिष्टिताओं एवं मज़बूतयिों को ध्यान में रखते हुए राज्य, ज़लिा और खण्ड स्तरों पर पारभिाषति प्रतक्रियिाओं को भी शामलि कयिा गया है।

आयोग के कार्य

- बाल अधकािरों के संरक्षण के लयि उस समय मौजूद कानून के तहत बचाव की स्थति संबंधी जाँच और समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सफिारशि करना।
- इन रक्षात्मक उपायों की कार्यशैली पर प्रतविर्ष और ऐसे अन्य अंतरालों पर केंद्र सरकार के समक्ष रपिोर्ट प्रस्तुत करना जन्हिें आयोग द्वारा उपयुक्त पाया जाए।
- उक्त मामलों में बाल अधकािरों के उल्लंघन की जाँच करना और कार्यवाही के संबंध में सफिारशि करना।
- उन सभी कारकों की जाँच करना जो आंतकवाद, साम्प्रदायकि हसिा, दंगों, प्राकृतकि आपदाओं, घरेलू हसिा, एचआईवी/एड्स, अनैतकि व्यापार, दुर्व्यवहार, यंत्रणा और शोषण, अश्लील चत्रिण तथा वेश्यावृत्ति से प्रभावति बाल अधकािरों का लाभ उठाने का नषिध करते हैं तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सफिारशि करना।
- अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और साधनों का अध्ययन करना तथा मौजूदा नीतयिों, कार्यक्रमों एवं बाल अधकािरों पर अन्य गतविधियिों की आवधकि समीक्षा करना तथा बच्चों के सर्वोत्तम हति में इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लयि सफिारशिें करना।
- कशिोर संरक्षण गृह या नवािस के अन्य कसिी स्थान, बच्चों के लयि बनाए गए संस्थान का नरीक्षण करना या नरीक्षण करवाना, ऐसे संस्थान जो केंद्र सरकार या कसिी राज्य सरकार या कसिी अन्य प्राधकिरण के अधीन हैं (इनमें कसिी सामाजकि संगठन द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान भी शामलि है, जहाँ बच्चों को इलाज, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन से रखा या रोका जाता है) तथा इनके संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- इस संबंध में प्राप्त शकियतों की जाँच करना और नम्नलखिति मुद्दों से संबंधति मामलों की स्वप्रेरणा से जानकरी लेना:
  - बाल अधकािरों से वंचति रखना और उल्लंघन।
  - बच्चों के संरक्षण और वकिास के लयि बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन नहीं करना।
  - नीत निर्णियों, दशिा-नर्दिेशों या कठनिाई के शमन पर लक्षति अनुदेशों का गैर-अनुपालन और बच्चों का कल्याण सुनश्चिति करना।

शक्षिा का अधकािर

(Right to Education)

संवैधानकि पृष्ठभूमः

- **भारतीय संवधिान का भाग IV, राज्य नीति (DSDP) के नर्दिेशक सद्धिांतों के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में** राज्य द्वारा वत्ति पोषति और समान एवं सुलभ शक्षिा का प्रावधान है।
- शक्षिा के अधकािर पर पहला आधकिारकि दस्तावेज़ 1990 में राममूर्ति समति की रपिोर्ट में पेश कयिा गया था।
- **उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, 1993** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **शक्षिा अनुच्छेद 21 से मौलकि अधकािर है।**
- **इसी संबंध में तापस मजूमदार समति (1999) की स्थापना की गई, जसिमें अनुच्छेद 21-A के सम्मलिन को शामलि कयिा गया।**
- **2002 में 86वें संवधिान संशोधन अधनियिम के द्वारा शक्षिा के अधकािर को संवधिान के भाग III में एक मौलकि अधकािर प्रदान कयिा गया।**
  - **अनुच्छेद 21-A में शक्षिा के अधकािर को 6-14 साल के बच्चों के लयि एक मौलकि अधकािर बनाया गया है।**
  - इसने **शक्षिा का अधकािर वधियक 2008** के लयि अनुवर्ती कानून प्रदान कयिा जसिने **2009 में अधनियिम** का रूप धारण दयिा।

RTE अधनियिम, 2009 की वशिषताएँ:

- 2 दसिंबर, 2002 को संवधिान में 86वाँ संशोधन कयिा गया और इसके अनुच्छेद 21ए के तहत शक्षिा को मौलकि अधकािर बना दयिा गया है।
- इस मूल अधकािर के क्रयिान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शक्षिा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए नःशुिल्क एवं अनविार्य शक्षिा का अधकािर अधनियिम (the Right of Children to Free and Compulsory Education Act) पारति कयिा।
- इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लयि शक्षिा को मौलकि अधकािर के रूप में अंगीकृत कयिा गया।
- शक्षिा के अधकािर अधनियिम के अंतर्गत 25 फीसदी सीटें वंचति वर्ग के बच्चों के लयि आरक्षति करना एक अनविार्य शर्त है, इनमें शामलि हैं:
  - अनुसूचति जाति (SCs) और अनुसूचति जनजाति (STs)
  - सामाजकि रूप से पछिड़ा वर्ग
  - नःशिक्तजन

दृष्टि The Vision

बच्चों से संबंधित प्रावधान:

- यह गैर-प्रवेश दिये गए बच्चे को उचित आयु कक्षा में प्रवेश किये जाने का प्रावधान करता है।
- इसमें 'नो डिटेंशन पॉलिसी' का भी एक खंड शामिल था, जिसे बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत हटा दिया गया।
- यह बच्चे को बाल-सुलभ और बाल-केंद्रित शिक्षा की प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है।

अध्यापकों से संबंधित प्रावधान:

- **यह स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों, आपदा राहत कार्यों तथा जनगणना के अलावा गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिये शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने को भी निषिद्ध करता है।**
- यह शिक्षकों की नियुक्ति के लिये अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य ज़िम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी चर्चा करता है।
- यह निम्नलिखित मानदंडों और मानकों से संबंधित है:
  - शिष्य-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratios-PTR)
  - स्कूलों के भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं हेतु उच्च स्तरीय व्यवस्थाएँ करना
  - शिक्षकों एवं स्कूल के अन्य कर्मचारियों के लिये काम के घंटे तय करना

यह निम्नलिखित को निषिद्ध करता है:

- शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न।
- बच्चों के प्रवेश के लिये स्क्रीनिंग प्रक्रिया।
- प्रति व्यक्ति शुल्क (Capitation fee)।
- शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन।
- बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन।

आगे की राह:

RTE अधिनियम के लागू होने के बाद दस साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी इस अधिनियम को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये एक लंबा रास्ता तय करना है। एक अनुकूल वातावरण का निर्माण और संसाधनों की आपूर्ति देशवासियों के साथ-साथ पूरे देश के लिये एक बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/faulty-education-guidelines-in-rajasthan